

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या: 125/2019

आईसीआईसीआई एचएफसी बैंक लि०, रजिस्टर्ड कार्यालय-रेस कॉर्स सर्किल, वडोदरा 390007462, कोरपोरेट कार्यालय- आईसीआईसीआई बैंक टॉवर बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई 400051, शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई एचएफसी लि०, 2 सी मधुबनी, मधुबन, उदयपुर -313001

.....प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

- (1). (अ) श्री धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र स्व० श्री तेजाराम चौधरी
निवासी:- 156 भिस्ती मौहल्ला वार्ड नं. 06 किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
(ब). श्री धर्मेन्द्र चौधरी पिता स्व. श्री तेजाराम चौधरी
निवासी:- प्लाट नं. 60 ए, खसरा नं. 275, चौधरी कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ,
जिला अजमेर (राज.)
(स). श्री धर्मेन्द्र चौधरी पिता स्व. श्री तेजाराम चौधरी
निवासी:- मार्बल सिटी हॉस्पिटल के पास, जयपुर रोड, मदनगंज किशनगढ,
जिला अजमेर (राज.)
- (2). (अ) श्रीमती छोटी देवी पत्नि स्व० श्री तेजाराम चौधरी
निवासी:- 156 भिस्ती मौहल्ला वार्ड नं० 06, किशनगढ, जिला अजमेर(राज.)
ब). श्रीमती छोटी देवी पत्नि स्व० श्री तेजाराम चौधरी
निवासी:- प्लाट नं. 60 ए, खसरा नं. 275, चौधरी कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ,
जिला अजमेर(राज.)
- (3). (अ) श्री खेमाराम चौधरी पिता स्व. श्री तेजाराम चौधरी
निवासी:- प्लाट नं. 60 ए, चौधरी कॉलोनी, गांधी नगर, किशनगढ,
जिला अजमेर(राज.)
(ब). श्री खेमाराम चौधरी पिता स्व. श्री तेजाराम चौधरी
प्लाट नं० 60 ए, खसरा नं० 275, चौधरी कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ,
जिला अजमेर(राज.)

.....अप्रार्थी/ऋणी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युराईटेशन रिक्सटक्शन
आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :- श्री अवतार सिंह उप्पल - अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक 30.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण 01 लगायात 02 को दिनांक 27.05.2016 व 18.06.2016 को क्रमशः रु. 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख रुपये मात्र) व रु. 6,25,000/- (अक्षरे छः लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) कुल रु. 13,25,000/- (अक्षरे तेरह लाख लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर चौधरी



W. L. Sharma
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर




कॉलोनी मदनगज-किशनगढ स्थित ब्लॉक नं. 60 ए, जो खसरा नं. 276 का भाग है, क्षेत्रफल 186.33 वर्गगज मय निर्मित क्षेत्रफल, जो श्रीमती छोटी देवी पत्नि स्व. श्री तेजाराम चौधरी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैं- उत्तर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक पूर्व में-ब्लॉक नं. 65, पश्चिम में- रोड, है, जो बलौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक पूर्व में-अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके रहा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से व्यक्तिगत व चूक कर दी और दिनांक 07.10.2018 को और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 07.10.2018 को दिनांक 31.01.2019 को राजस्टैंड मंग नोटिस रूपय- 13,86,321/- (अबरे तेरह हजार धियारी हजार तीन सौ दसवीस रुपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किया जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाले में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद सम्भालने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाले में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अनुसार अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पर्याप्त भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति चौधरी कॉलोनी मदनगज-किशनगढ स्थित ब्लॉक नं. 60 ए, जो खसरा नं. 275 का भाग है, क्षेत्रफल 186.33 वर्गगज, मय निर्मित क्षेत्रफल, जो श्रीमती छोटी देवी पत्नि स्व. श्री तेजाराम चौधरी के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएँ हैं- उत्तर में-ब्लॉक नं. 60 दक्षिण में-रोड, पूर्व में-ब्लॉक नं. 65, पश्चिम में- रोड, है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हरख कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 30.08.2019 को सुनाया गया।


(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर